

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/माघ 19, 1937

No. 344]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/MAGHA 19, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सं. 21/2016-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 401(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2007-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 अप्रैल, 2007, जिसे का.आ. 665 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. (iv) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“(v) सीमा शुल्क आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई,”।

[फा. सं. 437/15/2007-सीमा शुल्क IV]

जेड. आर. कामिली, निदेशक (सीमा शुल्क)

नोट : मूल अधिसूचना सं. 35/2007-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 26 अप्रैल, 2007 को का.आ. 665 (अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th February, 2016

No. 21/2016-Customs (N.T.)

S.O. 401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/2007-CUSTOMS (N.T.), dated the 26th April, 2007, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 665(E), dated the 26th April, 2007, namely:-

In the said notification, after serial number (iv) and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:-

“(v) the Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Chennai”.

[F. No. 437/15/2007-Cus.IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)

Note.—The principal notification No. 35/2007-CUSTOMS (N.T.), dated the 26th April, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 665 (E), dated the 26th April, 2007.